मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्र. 8968 / NREGS-MP / NR-6 / 2009 भोपाल, दिनांक 11 / 07 / 2009

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला – ..... म. प्र. (समस्त 50 जिलें)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत – ..... म. प्र. (समस्त 50 जिलें)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण।

संदर्भः 1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती अमिता शर्मा का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. D.O.No.J-16012/1/09-NREGA दिनांक 01 जुलाई 2009।

———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (प्रतिलिपि संलग्न, अनुलग्नक – 1) का अवलोकन करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत किए जा रहे कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण 31 अगस्त 09 तक समस्त ग्रामसभाओं में कराया जाना है। इस हेतु भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक – 1827 दिनांक 31.12.08 (अनुलग्नक – 2 के अनुसार) निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है –

1. सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु कैलेण्डर का निर्माण एवं कार्यक्रम का वेबसाईट पर प्रकाशन।
2. सामाजिक अंकेक्षण कार्य की 30 दिवस पूर्व उद्घोषणा कराना।
3. प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए अधिनियम अंतर्गत कार्य करने वालों की सामाजिक संपरीक्षा समिति का ग्रामसभा द्वारा गठन कराना, जिसमें एकतिहाई से अधिक महिलाओं शामिल हो।
4. ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यो का विवरण, नस्तियां इत्यादि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना।
5. ग्राम पंचायत के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिन पूर्व समस्त आवश्यक जानकारियों की फोटो प्रतियां सामाजिक संपरीक्षा समिति को उपलब्ध कराना।

6. सामाजिक संपरीक्षा समिति से समस्त अभिलेखों/सूचनाओं का सत्यापन और किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यो के संबंध में समिति को जानकारी देने की व्यवस्था कराना।
7. जनप्रतिनिधियों और NREGA से संबंधित शासकीय सेवकों को लिखित में अग्रिम रूप से सूचित किया जाए ताकि वे भी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग ले सके।
8. सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदन का ग्रामसभा में वाचन हो इसके साथ ही ग्राम पंचायत और शासकीय अधिकारियों से आमजन द्वारा सूचना और जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
9. पूर्व में हुए सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के वाचन की व्यवस्था करना।
10. सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण का अभिलेखन सचिव द्वारा कराया जाना और अंकेक्षण के पूर्व और उपरांत ग्रामसभा के प्रतिभागियों से हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था कराना।
11. सामाजिक अंकेक्षण कार्य में प्रेक्षक के रूप में आमजन के भाग लेने की व्यवस्थाऐं करना।
12. सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की व्यवस्था करना।
13. अधिनियम के विपरीत कार्यो की जानकारी को शिकायत माना जाएगा और उसकी जांच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
14. निधि में गड़बड़ी शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही और वसूली की जाए।
15. शासकीय अंकेक्षक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में वित्तीय गड़बड़ियों अथवा दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त जानकारियों पर विचार की व्यवस्था करना।
16. अधिनियम/स्कीम से संबंधित आमजन की संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था करना और मांग किए जाने पर अधिनियम /स्कीम के प्रावधानों अनुसार फीस प्राप्त कर 3 दिवस के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करना।
17. जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ का गठन जिसके सदस्यों में प्रभारी अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण, पंचायत, वित्त, एम.आई.एस. और मीडिया को शामिल किया जाए।

18. जनपद पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जाए।

19. ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी की नियुक्ति किए जाए।

20. नोडल अधिकारी को सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

21. सामाजिक अंकेक्षण में प्रस्तुत/ निरीक्षण के लिए सत्यापित दस्तावेजों की उपलब्धता की व्यवस्था करना।

22. ऐसे समस्त कार्य जिनका क्रियान्वयन माह जनवरी 09 से माह जुलाई 09 तक किया गया है, उन्हें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में अनिवार्यतः शामिल किया जावें।

23. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होनें माह जनवरी 2009 से माह जुलाई 2009 तक 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य किए है, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए।

24. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रचलित कार्यो के संबंध में समस्त स्तर पर प्राप्त शिकायतें भी संबंधित ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी। ग्रामसभा के द्वारा ही शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की जावेंगी।

25. ग्रामसभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध पत्रक अनुसार संकलित की जाएगी।

उपरोक्त कार्यो के संचालन के मार्गदर्शन के रूप में समय–सारणी और प्रश्नावली (FAQ) सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में समस्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

पृ.क्र. 8969 / **NREGS-MP** / **NR-6** / 2009 भोपाल, दिनांक 11 / 07 / 2009

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल। कृपया मुख्य सचिव को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. संयुक्त सचिव, (NREGA) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संभागायुक्त संभाग रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (विकास) संभागायुक्त कार्यालय रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर चंबल और सागर संभाग की ओर सूचनार्थ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद